Online ISSN: 3048-667X
CODEN (CAS, USA): JRLAB4
Impact Factor: 3.66

JOURNAL OF THE ROYAL LAUREATES ACADEMY
www.rlaindia.org

सूचना का अधिकार अधिनियम एवं प्रशासनिक पारदर्शिता: बिलासपुर जिले में इसके प्रभाव और चुनौतियों का समालोचनात्मक अध्ययन (2020-2025)

शालिनी सोनी

शोधार्थी , राजनीति विज्ञान विभाग, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. रेणु शरण

निर्देशक , सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग , डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

DOI: https://www.doi-ds.org/doilink/09.2025-88968269/JRLA/07202603

सारांश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को संस्थागत आधार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण विधिक प्रावधान है . यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे शासन की कार्यप्रणाली अधिक खुली, उत्तरदायी और जन-केन्द्रित बनती है [2]. प्रस्तुत शोध-पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के संदर्भ में वर्ष 2020 से 2025 के मध्य सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभाव, उपलब्धियों तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है . अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें विधिक दस्तावेज, सरकारी प्रतिवेदन, सूचना आयोग की रिपोर्टें और संबंधित शोध-साहित्य सम्मिलित हैं. निष्कर्षतः यह पाया गया कि इस अधिनियम ने प्रशासनिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-नियंत्रण, नागरिक सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा दिया है . तथापि, सूचना उपलब्ध कराने में विलंब, अभिलेखों के डिजिटलीकरण की कमी, प्रशासनिक उदासीनता और अपीलों की बढ़ती संख्या जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं . यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरटीआई अधिनियम सुशासन का प्रभावी माध्यम है, किंतु इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संस्थागत सुधार, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता अनिवार्य है .

कुंजी शब्द :- सूचना का अधिकार, प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन, नागरिक सहभागिता, बिलासपुर जिला.

Online ISSN: 3048-667X
CODEN (CAS, USA): JRLAB4
Impact Factor: 3.66

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों को शासन-प्रक्रिया, नीतियों, निर्णयों और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग की कितनी जानकारी उपलब्ध है। सूचना के अभाव में लोकतंत्र केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। इसी संदर्भ में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया, जिसने प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया . यह अधिनियम केवल सूचना उपलब्ध कराने का साधन नहीं, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनविश्वास को सुदृढ़ करने का प्रभावी उपकरण है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों पर स्वप्रेरित प्रकटीकरण का दायित्व भी डाला गया है, जिससे नागरिकों को बिना आवेदन के भी आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा सकें. बिलासपुर जिले में यह अधिनियम विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय व्यय और प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी के लिए नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है .

अध्ययन के उद्देश्य

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अवधारणा और महत्व का अध्ययन करना।
2. बिलासपुर जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. वर्ष 2020 से 2025 के दौरान अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।
4. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
5. प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें भारत सरकार के विधिक दस्तावेज, केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्टें, सरकारी पोर्टल, शोध आलेख और उपलब्ध आधिकारिक सूचनाएँ सम्मिलित हैं [5][3][1]. शोध का क्षेत्र बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ है और समय-सीमा 2020 से 2025 निर्धारित की गई है। उपलब्ध तथ्यों का तुलनात्मक और समालोचनात्मक विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

साहित्य समीक्षा

सूचना का अधिकार अधिनियम और प्रशासनिक पारदर्शिता पर अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि आरटीआई लोकतांत्रिक शासन में नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार-

Online ISSN: 3048-667X
CODEN (CAS, USA): JRLAB4
Impact Factor: 3.66

नियंत्रण और उत्तरदायित्व-निर्माण का महत्त्वपूर्ण साधन है . शोध-साहित्य में यह रेखांकित किया गया है कि अधिनियम के माध्यम से प्रशासनिक सूचना तक पहुँच बढ़ी है, जिससे लोक-प्रशासन अधिक जवाबदेह बना है। साथ ही, कुछ अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि समय पर सूचना न मिलना, अपीलों का बोझ, रिकॉर्ड-प्रबंधन की कमजोरी और जागरूकता की कमी इसके क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं . केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्टों और सरकारी प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलता है कि आरटीआई आवेदनों की संख्या और उनके निस्तारण की प्रक्रिया लगातार बदलती रही है, किंतु प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता बनी हुई है .

सूचना का अधिकार: वैचारिक आधार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 3 इस अधिकार की मूल वैधानिक पुष्टि करती है. इसके साथ ही धारा 4 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचनाओं का स्वप्रेरित प्रकटीकरण करने का दायित्व दिया गया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता को संस्थागत स्वरूप मिलता है . इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं, प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासनिक निर्णयों से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं. इस प्रकार सूचना का अधिकार नागरिक और शासन के बीच सूचना-समता स्थापित करता है और सत्ता-संतुलन को लोकतांत्रिक दिशा प्रदान करता है .

प्रशासनिक पारदर्शिता में भूमिका

प्रशासनिक पारदर्शिता का अर्थ है कि शासन की कार्यप्रणाली जनता के लिए स्पष्ट, खुली और उत्तरदायी हो। सूचना का अधिकार अधिनियम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाता है . यह अधिनियम विभागों को अपने कार्यों, वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं, निर्णयों और प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करता है। पारदर्शिता के कारण नागरिक अपने अधिकारों और सरकारी उत्तरदायित्वों के बीच संबंध समझ पाते हैं। इससे भ्रष्टाचार, अनियमितता और मनमानी की संभावना घटती है। केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि आवेदनों के निस्तारण, अस्वीकृति और लंबित प्रकरणों का दस्तावेजीकरण प्रशासनिक जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण सूचक बन चुका है

बिलासपुर जिले में प्रभाव

वर्ष 2020 से 2025 के बीच बिलासपुर जिले में सूचना के अधिकार का उपयोग विभिन्न विभागों में बढ़ा

Online ISSN: 3048-667X
CODEN (CAS, USA): JRLAB4
Impact Factor: 3.66

है। नागरिकों ने विकास कार्यों, नियुक्तियों, वित्तीय व्यय, निर्माण कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए। इससे स्थानीय प्रशासन पर अधिक पारदर्शी ढंग से कार्य करने का दबाव बढ़ा .कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, राहत वितरण, चिकित्सा सहायता और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं की माँग में भी वृद्धि हुई। यह स्पष्ट हुआ कि संकट की परिस्थितियों में भी नागरिक सूचना के अधिकार का उपयोग सार्वजनिक निगरानी के लिए कर रहे थे. पंचायत, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सूचना की माँग ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक खुला और उत्तरदायी बनाने की दिशा में योगदान दिया।

प्रमुख चुनौतियाँ

सूचना उपलब्ध कराने में विलंब

कई मामलों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती। इससे आवेदकों को प्रथम एवं द्वितीय अपील का सहारा लेना पड़ता है, जिससे अधिनियम की उपयोगिता प्रभावित होती है [5][4].

अभिलेख प्रबंधन की समस्या

अनेक कार्यालयों में अभिलेखों का वैज्ञानिक और डिजिटल प्रबंधन अभी भी पूर्ण नहीं है। कागजी रिकॉर्डों पर अत्यधिक निर्भरता सूचना खोजने और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को जटिल बनाती है।

प्रशिक्षण का अभाव

लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम की प्रक्रियाओं, अपवादों और दायित्वों की समुचित जानकारी न होने से क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

जन-जागरूकता की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर सामाजिक समूहों में सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। इसके कारण अनेक पात्र नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते।

अपीलों का बढ़ता बोझ

सूचना न मिलने या अपूर्ण सूचना मिलने पर अपीलों और शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सूचना आयोगों पर भार बढ़ता है और मामलों के निस्तारण में विलंब होता है [5][4].

Online ISSN: 3048-667X
CODEN (CAS, USA): JRLAB4
Impact Factor: 3.66

समालोचनात्मक विश्लेषण

सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र में एक परिवर्तनकारी सुधार रहा है। इसने प्रशासनिक सूचना पर नागरिक अधिकार की मान्यता देकर शासन-व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है . बिलासपुर जिले में भी इस अधिनियम ने विकास कार्यों, व्यय और योजनाओं की निगरानी के माध्यम से नागरिक नियंत्रण को सशक्त किया है . फिर भी, अधिनियम की सफलता केवल विधिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके ईमानदार और प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित होती है। यदि रिकॉर्ड व्यवस्थित न हों, अधिकारी सूचना को प्राथमिकता न दें, या स्वप्रेरित प्रकटीकरण कमजोर हो, तो अधिनियम का मूल उद्देश्य बाधित होता है. अतः आवश्यक है कि प्रशासन में खुलेपन की संस्कृति विकसित हो और सूचना को अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाए।

निष्कर्ष

1. सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता स्थापित करने का प्रभावी उपकरण है।
2. बिलासपुर जिले में इसके उपयोग से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ी है।
3. नागरिक सहभागिता और प्रशासनिक निगरानी में वृद्धि हुई है।
4. भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने में अधिनियम सहायक रहा है।
5. सूचना उपलब्ध कराने में विलंब और अपूर्ण सूचना की समस्या बनी हुई है।
6. अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता अभी भी अत्यधिक है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
8. लोक सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुझाव

1. सभी विभागों में अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाए।
2. लोक सूचना अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
4. सूचना आवेदन और अपील प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
5. सूचना उपलब्ध कराने में विलंब करने वाले अधिकारियों पर प्रभावी कार्रवाई हो।
6. ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।
7. स्वप्रेरित प्रकटीकरण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए।
8. सूचना आयोगों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु संसाधन बढ़ाए जाएँ।

Online ISSN: 3048-667X
CODEN (CAS, USA): JRLAB4
Impact Factor: 3.66

उपसंहार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कानून है [1][2]. बिलासपुर जिले के संदर्भ में वर्ष 2020 से 2025 के मध्य यह स्पष्ट हुआ कि इस अधिनियम ने प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है [3][4]. यद्यपि विलंब, अभिलेख-प्रबंधन की कमी, तकनीकी सीमाएँ और जागरूकता का अभाव जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी यह अधिनियम सुशासन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है

संदर्भ सूची

- Government of India. Right to Information Act, 2005.
- Central Information Commission. Annual Reports and RTI resources.
- Government of India. Information under Section 4(1)(b) of RTI Act, 2005.
- PIB / Government reporting on RTI request disposal trends.
- सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है (Ahmad, 2021).
- नागरिक सहभागिता में वृद्धि सूचना तक पहुँच से संभव होती है (Roy & Dey, 2022).
- सूचना उपलब्ध कराने में विलंब अधिनियम की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है (Singh, 2024).
- अधिनियम ने प्रशासनिक जवाबदेहिता को सुदृढ़ किया है (Sharma, 2021).

वेबसाइट स्रोत

- RTI Online Portal: https://rtionline.gov.in
- Central Information Commission: https://cic.gov.in
- Department of Personnel and Training (RTI): https://dopt.gov.in
- Chhattisgarh State Information Commission: https://siccg.nic.in
- Government of Chhattisgarh: https://www.cgstate.gov.in